न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 05/2015 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. श्री नाथू पिता जीवा लखारा निवासी गामड़ी पटवार हल्का गामड़ी तहसील व़ जिला बांसवाड़ा (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री परमेश्वर पिता श्री अमरजी पटेल निवासी गामड़ी पटवार हल्का गामड़ी तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. श्री दिनेशचन्द्र पिता श्री अमरजी पटेल निवासी गामड़ी पटवार हल्का गामड़ी तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
3. श्रीमती राजू पत्नी स्व. श्री अमरजी पटेल निवासी गामड़ी पटवार हल्का गामड़ी तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
4. श्रीमान तहसीलदार बांसवाड़ा

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी बांसवाड़ा दिनांक 30–10–2014 प्रकरण
संख्या 67/2012 वाद

———/———

उपस्थित :–1– श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री राजेन्द्र पाटीदार अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3
3– राजकीय अधिवक्ता

————————————

निर्णय **दिनांक 09–11–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादी नाथू पिता जीवा लखारा ने एक वाद अन्तर्गत धारा–88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर

निवेदन किया कि वादी की निजी स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या नया 73 पुराना 63 आराजी नंबर 775/1 जिसका वर्तमान रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा लगानी रूपया 3.95 वाके ग्राम गामड़ी, पटवार हल्का गामड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक सालिया तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित है। जिसका पुराना खाता संख्या 22 सर्वे नंबर 775 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा था। जिस पर वादी अपने पिता के समय से कब्जा काश्त होकर कमा रहा है। वादी के पिता जब तक जीवीत थे तब तक वादी अपने पिता के साथ कमाता रहा तथा वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात वादी अपने परिवार सहित मौके पर काबिज होकर कमा रहा है तथा मौसमी फसल प्राप्त कर नियमानुसार लगान अदा कर रहा है। वादी की वंशावली में नाथू (वादी) पिता जीवा (मृतक) पिता मनजी (मृतक) है।

उक्त सर्वे नंयबर 775 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा की कृषि भूमि खतौनी सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट 1943–44 में वादी के पिता जीवा वल्द मनजी व अन्य सह–खातेदार गेबा वल्द हामेंग के साथ संयुत खाते में थी तथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2008–12 खसरा गिरदावरी सम्वत 2012–15, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015–18, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2016–19, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2020–23 में उपरोक्त सर्वे नंबर की कृषि भूमि वादी के पिता के संयुक्त खाते में थी।

खसरा गिरदावरी सम्वत् 2024–26 में संबंधित रेवेन्यू अधिकारी ने वादी के पिता की जानकारी के बिना उपरोक्त खसरा गिरदावरी में वादी के पिता जीवा पिता मनजी के उपर गोला कर उपरोक्त सर्वे नंबर की कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 94 दिनांक 26–11–1965 को गेबा पिता हामेंग पटेल सह–खातेदार के नाम कर दिया है, जबकि नामान्तरकरण संख्या 94 दिनांक 26–11–1965 को कोन से सर्वे नंबर की जमीन बेची है। इसका हवाला नहीं दिया गया है, जबकि वादी व उसके पिता द्वारा उक्त सर्वे नंबर की कृषि भूमि का बेचान सह–खातेदार गेबा पिता हामेंग पटेल को नहीं किया गया है।

प्रतिवादीगण के पिता/दादा द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिली–भगत कर मूल सर्वे नंबर 775 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा की जगह सर्वे नंबर 775/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कर दिया गया है। जबकि उक्त

कार्यवाही प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 3 के दादा द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलकर बाला बाला तरीके से अपने नाम से नामान्तरकरण करवा लिया है, जबकि सारी कार्यवाही वादी के पिता की जानकारी के बिना मौका देखकर की गई है। जिसमें वादी के पिता उपस्थित नहीं थे तथा न ही किसी न्यायालय द्वारा वादी के खाते को खारीज किया गया है। उपरोक्त सारी कार्यवाही की गई है व मात्र फोरमल कार्यवाही की गई है, जिनकी मौखिक स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा सारी कार्यवाही एक–पक्षीय की गई है, इसलिए उपरोक्त सारी कार्यवाही खारीज करने योग्य है, जबकि आज भी उपरोक्त सर्वे नंबर की कृषि भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

वाद का व्यवहार कारण बरसात होने पर प्रतिवादीगण वादी के खेत में फसल व बैल लेकर आये तथा जबरन खेती करने लगे, जिस पर वादी द्वारा मना करने प प्रतिवादीगण ने कहा कि यह जमीन हमारी है, जिस पर हम खेती करेंगे, जिस पर वादी ने इस सम्बन्ध में रेवेन्यू रेकार्ड देखने पर ज्ञात हुआ कि उपरोक्त सर्वे नंबर की कृषि भूमि का आवंटन प्रतिवादीगण के पिता/दादा के नाम कर दिया है। जबकि उपरोक्त सर्वे नंबर की कृषि भूमि पर वादी का आज भी कब्जा है।

प्रतिवादी संख्या 4 तहसीलदार बांसवाड़ा भू–स्वामी होने के कारण दावे में आवश्यक पक्षकार है।

वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आश्य की डिक्री फरमाई जाने का निवेदन किया कि वादी के निजी स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि जिसका वर्तमान खाता संख्या नया 73, पुराना 63 सर्वे नंबर 775/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा लगानी रूपया 3.95 वाके ग्राम गामड़ी पटवार हल्का गामड़ी भू–अभिलेख निरीक्ष्झक क्षैत्र सालिया तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित है, जिसका पुराना खाता संख्या 22 सर्वे नंबर 775 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा था। इस पर वादी अपने पिता के समय से कब्जा काश्त होकर कमा रहा है। वादी के पिता जब तक जीवित थे तब तक वादी अपने पिता के साथ कमाता रहा तथा वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात् वादी अपने परिवार सहित मौके पर काबिज होकर कमा रहा है तथा मौसमी फसल प्राप्त कर नियमानुसार लगान अदा करता चला आ रहा है। नामान्तरकरण संख्या

94 दिनांक 26–11–1965 को गेबा पिता हामेंग पटेल के नाम खोला गया है, उसे काबिल निरस्त किया जावे तथा वादी को उसके पिता व गेबा पिता हामेंग के साथ सह–खातेदार होने के कारण रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा में से आधे भाग का सह–खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा समस्त रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 4 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिये जावे कि दावा निस्तारण तक वादी के निजी खाते की पैतृक कृषि भूमि में कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा न करें एवं न तो प्रतिवादीगण स्वयं प्रवेश करने न ही अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रवेश करें। धारा–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में न्यायालय से अन्य दादरसी जो समझे दिलाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्लीडिंग्स के आधा पर निम्नानुसार 6 तनकीयात कायम की गई :–

1 **आया ग्राम गामड़ी का खाता संख्या नया 73 पुराना 63 के सर्वे नंबर 775/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा का नामान्तरकरण 94 दि0 26–11–1965 को निरस्त किया जावे।** ..... **वादी**

2. **आया वादी को उसके पिता व गेबा के साथ सह–खातेदार घोषित किया जावे।** ..... **वादी**

3. **आया प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाय।** ..... **वादी**

4. **आया वादग्रस्त भूमि को जीवा पिता मनजी ने विक्रय कर दी थी। ...प्रतिवादी**

5. **आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा अपने ताऊ जी गेबा पिता हामेंग के समय से चला आ रहा है।** ..... **प्रतिवादी**

6. **दादरसी**

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 30–10–2014 से वादी का वाद खारीज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 30–10–2014 से रूष्ट होकर वादी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मं दिनांक 18–12–2014 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नाटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 से 3 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र

पाटीदार ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–4 सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने औपचारिक पक्षका के रूप में उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की। वहीं रेस्पोन्डेन्ट अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही होना बताकर अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट का दावा देखे बिना व बिना बहीखाता देखे मातृ जवाबदावे से प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट का कब्जा लिख देने के आधार पर बिला प्रमाण व साक्ष्य के वाद खारीज कर दिया है। बही जो विक्रय पत्र की साक्ष्य है वह भी अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या–1 व 2 के सम्बन्ध में जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण तनकीया है, पहल तनकी तो इस आधार पर वादी के विरूद्ध तय कर दी है कि नामान्तरकरण की निरस्त कराने के साक्ष्य पेश नहीं की है। वस्तुतः घोषणात्मक दावे मे नामान्तरकरण की वैधता पर विचार किया जाना होता है न कि उसकी अपील व निास्त करने की कार्यवाही की जाना होता है। नामान्तरकरण वित्तीय कार्यवाही है। अतएव घोषाणात्मक वाद में इस तनकी संख्या 1 का निर्णिय त्रुटिपूर्ण किया गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तनकी संख्या–2 के सम्बन्ध में प्रतिवादीगणों के पक्ष में विक्रय की कोई प्रभावी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने वादी की खातेदारी भूमि प्रतिवादी को जाने की साक्ष्य नहीं होने के बावजूद नामान्तरकण तस्दीक हो जाने के बाद वादी अपीलान्ट पर यह भार डाला है कि वह पुनः विवादित भूमि वादी को प्राप्त होने की साक्ष्य पेश करे। यह अत्यन्त विचित्र स्थिति है। जबकि वादी के वादपत्र के सम्बन्ध में विवादित वादी के स्वत्व का प्रतिवादी को हस्तान्तरण को वादी द्वारा प्रश्नाकिंत एंव संदिग्ध तथा उक्त आराजी नंबर अंकित नहीं होने की प्लीडिंग्स के बाद प्रतिवादी द्वारा स्वयं को प्राप्त स्वत्व बाबत दस्तावेज पेश नहीं करने के

बावजूद भूमि को प्रतिवादी की मानने का अधिनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष उपलब्ध साक्ष्यों से पृथक है। इसी प्रकार कब्जा प्रतिवादी का माने का कोई प्रभावी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के बावजूद उसका कब्जा मानना भी त्रुटिपूर्ण है। उपरोक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रमुख रूप से प्रभावी तनकी संख्या–1 व 2 का निर्णय उपलब्ध साक्ष्यों से इतर जाकर किया गया है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–10–2014 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्ष को पुनः सुनवाई का अवसर देकर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में 10–1–2018 उपस्थित होवें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम ..... .**उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री मांगूलाल पिता श्री नानजी भील निवासी बोरखाबर तहसील व जिला बांसवाड़ा अन्य–1	बनाम	**श्री देवा पिता श्री रामा भील निवासी नांदरामाल तहसील बांसवाड़ा अन्य–5 व सरकार**

अपील नं0 **18/2015** बनाराजगी डिगरी अदालत ..... **उपखण्ड अधिकारी**. ..... **घाटोल** ..... मुकाम मुक्र्खे.....**13**..... माह .....**03**..... **2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ..... **27**..... माह .....**06**..... सन् **2017** रूबरू... पक्षकारान व हाजरी बवक्त बहस ....**श्री आर. के. जैन** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री राजकीय अधिवक्ता** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–03–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**..... माह ...**07**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ..... 2. स्टाम्प वकालत नामा..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।